

प्राथेना - पत्र वास्तु शीघ्र बुनवार का
अवलोकन किया गया। प्राथेना - पत्र अवकीर्ण
न्याय के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार
किया जाता है। पत्रावली नारिका सिाउड
२०११/२०२२ का वास्तु बहस पैश है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपस्रण्ड अधिकारी, बावडी

२०११/२०२२

पत्रावली पैश हुई। तकुलाय उपस्थित।
उभय पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस
सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया। अपाथीगण द्वारा अपने प्राथेना - पत्र में
ग्राम - पैलाणा के खेत खसरा नं. १८५/३५
की भूमि में अपाथीगण द्वारा प्राथी की वक्षल
करने व विधिविरुद्ध आतिक्रमण करने की
जात कही है व प्राथी द्वारा प्रस्तुत वाद
श्री अनगत धारा १८८ RTA का तहत
पेश किया है।

अधिसूचना के विरुद्ध आदेश :- कोर्ट
आसामी जिसके भूमि - क्षेत्र या भूमि - क्षेत्र
द्वारा पर उसके अधिकार अथवा उपयोग
पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण
किया जाता है या आक्रमण की धमकी
दी जाती है, निरस्थायी आदेश की मजूरी
के निमित्त वाद में संबंधित है अपाथीगण
द्वारा अपने जवाब व बहस में यह

सहायक कलेक्टर एवं
उपस्रण्ड अधिकारी, बावडी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तद्य ततथा है कि अप्रयोग के खसरा
नं. 184134 व अप्रयोग के खसरा
नं. 184112 की तस्मीम बालत जगह है रकी
है। एवं अप्रयोग द्वारा तस्मीम पुरस्ती का
उत्करण विचाराधीन है। अप्रयोग द्वारा
उत्सुत तस्मीलदार भोज जॉन (सिपौटी) का
सतलीकन किया गया। यह अप्रयोग
द्वारा उत्सुत तस्मी से सिद्ध है कि
अप्रयोग द्वारा अपने खेत खसरा नं.
184112 की तस्मीम मुद्द करवाने हेतु
कार्यवाही प्रारंभ की है। परन्तु उक्त
हस्तावली से स्पष्ट है कि अप्रयोग के
उक्त तस्मीम मुद्दि जर्जना - पत्र में अप्रयोग
की पहकार नहीं बनाया गया है। अप्रयोग
वर्तमान में जहां अप्रयोग की तस्मीम है
वही खसरा की तस्मीम मुद्दि की कार्यवाही
कर रहे हैं। अतः अगल अप्रयोग की
मुद्दि बिना उक्त तस्मीम मुद्दि की कार्यवाही
होनी ली। अप्रयोग की मयूरजीय हरी
होनी। व यह प्राकृतिक व्याप के सिद्धान्त
के विपरीत होगा। अतः उक्त प्रत्येक-पत्र
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान शासकरी
सोविलेपन जो जिन तस्मीमों के साथ पेश
हुआ है उससे स्पष्ट है कि उक्त
दृष्ट्या, सुविधा का अनुमन व मयूरजीय

कि

सहायक कलेक्टर एवं
असल अधिकारी, बाबडी

रा.मु.जो.

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

के न्यायालय में

सहायक कलेक्टर at पत्र उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Case प्रकार का प्रकार

RTI ACT

of Case प्रकार की संख्या

103/2022

Year वर्ष

ववसराम

Versus बनाम

कैलाश

Order with Initials of Presiding Officer

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश

Brief Note of
Compliance of
the order
आदेश की पालना
का संक्षेप टिप्पण

3

क्षति के तमाम बिन्दु प्रयोग के पक्ष में है।
अतः प्रयोग के द्वारा खसरा नं. 184/17
हैतु संचालित तमाम प्रक्रियाएँ में
प्रयोग की भी पहलू बनाकर सुना-
जावे व उक्त तमाम प्रक्रियाएँ के नियम-
नुसार सुनवाई का अवसर एक गुणावगुण
पर मिलाने तक प्रयोग के खत
खसरा नं. 184/34 के राजस्व रिकार्ड में
की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा। तद्विषय
प्रयोग की अपूर्ण क्षति रहेगी। अतः
प्रयोग का प्रयोग- पत्र संलग्न 2।
RTI ACT स्वीकार किया जाता है व प्रयोग
की इस तरह की प्रक्रिया निवेदाता
से प्राप्त किया जाता है कि वह प्रयोग
की प्रक्रिया के सिद्धांत के आधार
पर तमाम प्रक्रिया में पहलू बनाकर
जाकर गुणावगुण पर प्रक्रिया के मिलाने
तक काम चलाने के खसरा नं. 184/34
के वर्तमान मौका व राजस्व रिकार्ड में किसी
भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं स्वयं

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्कर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या

Year वर्ष

Versus बनाम

Date
दिनांक

Order with Initials of Presiding Officer
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश

1

करगी व न दी 2 डिमी सत्य से करगी
मार्क व राजस्व रिकॉर्ड की यथ/स्थिती
ब्याल रकीगी। पचावली लाल गुमाद रिकॉर्ड
नम्बर से कम एवं मूल पाद के साथ नही
ही निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को
मुख्य न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी